

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनाएँ झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 07.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राम कुमार पाहन स०वि०स० डॉ० जीतू चरण राम स०वि०स० प्रो० जयप्रकाश वर्मा स०वि०स०	<p>रौची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड के राजाउलातुर गाँव के मार्शली पहाड़ पर स्थित प्राचीन कालीन शिव मंदीर में सालोभर श्रद्धालु आते रहते हैं और सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पास कोई सार्वजनिक शौचालय, स्नानागार तथा विश्राम के लिए व्यवस्था नहीं है जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है।</p> <p>अतएव नामकोम प्रखण्ड स्थित मार्शली पहाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सदन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट करते हैं।</p>	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य
02-	श्री कुणाल षडंगी स०वि०स०	<p>अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, बिहार एवं अन्य राज्यों यथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केव्व सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के आश्रित पोता/पोती/नाती/नन्तीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>झारखण्ड राज्य में भी वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केव्व</p>	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		<p>सरकार द्वारा पेंशन दिया जा रहा है, के आश्रित पोता/पोती/नाती/नतीनी को भी अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार की सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षेत्रिक आरक्षण प्रदान करने की माँग करता है।</p>	
03-	श्रीमती मेनका सरदार स ० वि ० स ०	<p>राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों के सम्मान में राँची स्थित पुरानी बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा परिसर को शहीद स्मृति पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्मृति पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं तथा इनके गाँवों की पवित्र मिट्टी संग्रहित की जा रही है। उक्त पार्क में धालभूम—मानभूम-सिंहभूम के महान स्वतंत्रता सेनानीद्वय शहीद रघुनाथ सिंह एवं गंगा नारायण सिंह को नजर अंदाज किया जा रहा है। अतः शहीद रघुनाथ सिंह एवं गंगा नारायण सिंह को प्र्याप्त सम्मान देने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करती है।</p>	नगर विकास एवं आवास
04-	श्री नलिन सोरेन स ० वि ० स ० श्री जगरनाथ महतो स ० वि ० स ० श्री दीपक बिरुवा स ० वि ० स ०	<p>झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं-०-१२/२०१८ द्वारा आयोजित होने वाली सिविल जज (जूनियर डिविजन) २०१८ के १०७ पदों के विलम्ब सीधी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसकी प्रक्रिया भी पूर्व हो चुकी है। उक्त नियुक्ति हेतु निकाले गये विज्ञापन में पदों का निर्धारण गलत ढंग से किया गया है। जिसमें सामान्य श्रेणी वर्ग को ७८, पिछड़ों एवं अति पिछड़ा वर्ग को ०७, अनुसूति जाति को ०५ एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को १७ पद दिया गया है। विदित हो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी आरक्षण सूची के तहत सामान्य श्रेणी को ५० प्रतिशत एवं</p>	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		<p>अति पिछङा वर्ग को 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति श्रेणी को 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 26 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में कुल 107 पदों में सामान्य श्रेणी को 53 पद, पिछङा एवं अति पिछङा श्रेणी को 15 पद, अनुसूचित जाति श्रेणी को 11 पद एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को 28 पद मिलना चाहिए।</p> <p>साथ ही विगत 18 वर्षों में झारखण्ड राज्य में सिविल जज (जूनियर डिविजन) की नियुक्ति अभी तक मात्र तीन (03) बार ही की गई है, ऐसे में उक्त नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की ओर से उपर्युक्त अवधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सक्रियता नहीं दर्शायी रखते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों की ओर से वंचित रह गये हैं जो झारखण्ड के पढ़े-लिखे युवाओं के साथ अन्वयाय है।</p> <p>अतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल जज (जूनियर डिविजन) 2018 की नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं-0-12/2018 में निहित पदों का सही ढंग से आरक्षण निर्धारण तथा उम्मीदवारी कट ऑफ डेट को वर्ष 2015 करते हुए नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया किये जाने के संबंध में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।</p>	
05-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स० श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी स०वि०स० श्री हरिकृष्ण सिंह स०वि०स०	<p>गढ़वा जिला के S.S.J.S.N COLLEGE, गढ़वा के कई कर्मियों का छठा वेतन औपर्युक्त वेतन निर्धारण G/P/201/80 Ed/1131 Date- 13/11/87 के तहत सभी 66 स्वीकृत पद के विरुद्ध सभी कर्मियों को कर दिया गया है जिसमें दो कर्मी (1)- श्री अविनाश कुमार सिंह (स्टोर किपर, केमेस्ट्री) एवं (2)- मो० इसरा आलम (चतुर्थ कर्मी) छूट गए हैं जिनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर हुई थी। जबकि पांचवा और छठा वेतन के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय से S.S.J.S.N COLLEGE, गढ़वा पत्रांक- NPU/F0/A/C/373/14 दिनांक-05.12.14 के द्वारा प्रस्ताव</p>	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

	<p>निदेशक, उच्च शिक्षा मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। उक्त कॉलेज ने इस संबंध में दो-दो बार स्मार पत्र के माध्यम से अनुरोध भी किया है। इसके बावजूद कई वर्षों से संचिका दबाकर रखी गयी है।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि सभी स्वीकृत पद के अनुरूप सभी कर्मियों का छठा वेतन निर्धारण कर दिया गया है तो छूटे हुए ऐसे वेतन भोगी कर्मियों के वेतन निर्धारण में विलम्ब का क्या कारण है? क्यों न इसके लिए संचिका निष्पादन करने वाले कर्मी/पदार्थ को दोषी मानते हुए दण्डित कर यथाशीघ्र इसका निष्पादन किया जाय, इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।</p>	
--	---	--

राँची,
दिनांक- 07 फरवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-।।।९।।।.....वि० स०, राँची, दिनांक- ०६.०२.१९
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मानवीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च व्यायालय राँची/पर्यटन, कला संरक्षिति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यालय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-।।।९।।।.....वि० स०, राँची, दिनांक- ०६.०२.१९
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

०६.०२.१९